

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :06 / प्र0अ0-भवन / जोन-1 / शमन / 2013-14 दिनांक 28 / 04 / 2014





विनियमितीकरण-ए

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक शमन निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती श्वेता सिंह पत्नी श्री रमाकान्त सिंह द्वारा नजूल फ्री होल्ड साईट नं0-30/2ए सिविल स्टेशन इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 31.12.2013 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 02 अदृढ़ वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
4. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कुशल इन्जीनियर की देख-रेख में स्वतः ध्वस्त कराना होगा।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
7. प्रासंगिक प्रकरण में मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी गयी भूमि के Against कम्पनसेटरी एफ0ए0आर0 Achieve किया जा रहा है, अतएव रोड वाइडनिंग एरिया हेतु किसी भी विभाग से मुआवजा/अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा नहीं किया जायेगा।
8. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

28/04/2014
प्रभारी अधिकारी (त0स0)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद



PROPOSED COVERED AREA SPACING THIS

COMPENSATED COVERED AREA SPACING THIS

EXISTING AREA SHOWN THIS

UNWATER PAVEMENTING ROOM THIS

AREA WATER PPS SHOWN THIS

800X 1000X 2000X

COOR. 201 1000X2000

201 1000X2000

201 1000X2000

201 1000X2000

201 1000X2000

201 1000X2000

201 1000X2000

THIS IS TO CERTIFY THAT THE M.M.S
JANUARY 2013 AND MARCH OF A.Y. 14
MAYI YOMAN 2013

OWNER NAME
SMT. SHWETA SINGH
W/O RAMA KANT SINGH

SECTION / COMPOUNDING
BUILDING PLAN ON PART OF SITE
NO. 3012 CIVIL STATION,
ALLAHABAD.

DEALT BY: **Chandraadeep**

SIG. OWNER: *Shweta Singh*

SIG. ENGR: *Chandraadeep*


DATE: **REV. 26 - 03 - 2014**

SCALE: **1:100**

Cell No: 9829889898, 9829889898
Office: 9829889898, 9829889898
The Institution of Engineers (India)

AREA SCHEDULE IN SQMT.

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQMT)	COVER AREA (SQMT)	COMPOUNDING AREA (SQMT)	DEMOLISH AREA (SQMT)	PASS ROOM AREA (SQMT)
1	TOTAL AREA OF PLOT	418.033 sqmt	---	---	---	---
2	ROAD WIDENING	41.148 sqmt	---	---	---	---
3	NET PLOT AREA	376.88 sqmt	---	---	---	---
4	COVER. ON BASEMENT PLAN	NIL	172.23 sqmt	45.88 sqmt	20.27 sqmt	2.18.11 sqmt
5	COVER. ON GROUND FLOOR PLAN	149.73 sqmt	172.23 sqmt	45.88 sqmt	20.27 sqmt	2.18.11 sqmt
6	COVER. ON FIRST FLOOR PLAN	188.44 sqmt	172.23 sqmt	45.88 sqmt	20.27 sqmt	2.18.11 sqmt
7	COVER. ON SECOND FLOOR PLAN	188.44 sqmt	172.23 sqmt	45.88 sqmt	20.27 sqmt	2.18.11 sqmt
8	OPEN AREA	174.60 sqmt	---	---	---	---
9	MUNITY AREA	14.58 sqmt	---	---	---	---



शुद्धी/संशोधन/संशोधन/संशोधन
संशोधन/संशोधन/संशोधन/संशोधन
संशोधन/संशोधन/संशोधन/संशोधन